

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य/छाप्रोप्र/आवंटन-व्यय/25210/2017-18

दिनांक : 6-2-2018

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक शिक्षा (प्रथम/द्वितीय)

विषय : अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग योजनान्तर्गत छात्र/छात्राओं को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए बजट आवंटन वर्ष 2017-18

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अंकित पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं हेतु वर्ष 2017-18 के लिए बजट आवंटित किया जाता है-


क्र. सं.	ऑफिस आई.डी.	जिला शिक्षा अधिकारी	अन्य पिछड़ा वर्ग 2202-02-107-(07)-[00]-13		विशेष पिछड़ा वर्ग 2225-03-196-(06)-[07]-12	
			विद्यार्थी संख्या	आवंटित राशि (रुपये)	विद्यार्थी संख्या	आवंटित राशि (रुपये)
1	16289	AJMER-I	2773	1840100	781	Already Alloted
2	16290	AJMER-II	5279	3679000	1026	829400
3	6452	ALWAR-I	4787	3687000	795	225700
4	6454	ALWAR-II	7099	4799000	2149	1945300
5	21127	BANSWARA	2991	2217640	368	315500
6	21800	BARAN	4223	3323000	969	820300
7	13976	BARMER	18668	14819000	1155	Already Alloted
8	7236	BHARATPUR-I	2936	2558920	541	509900
9	7239	BHARATPUR-II	3012	2312000	997	840500
10	70971	BHILWARA-I	12140	9440000	4039	3124300
11	70972	BHILWARA-II	10123	7723000	3482	2642200
12	3735	BIKANER	11372	7972000	72	55000
13	17137	BUNDI	3865	2900700	2345	2024200
14	21402	CHITTAURGARH	13534	10440700	2176	1699600
15	4492	CHURU	10335	6035000	147	Already Alloted
16	8914	DAUSA	5599	4962640	2137	1963020
17	7576	DHAULPUR	6977	4177000	1618	1204185
18	20897	DUNGARPUR	4904	3404000	566	479100
19	2735	GANGANAGAR	5732	3655200	20	15400
20	3282	HANUMANGARH	9386	7086000	46	38900
21	10196	JAIPUR-I	10321	9430900	2181	1912500
22	10198	JAIPUR-II	10984	8975800	4208	3802800
23	13291	JAISALMER	1557	1263200	15	9700
24	14459	JALOR	8435	7839440	2618	1928000
25	22087	JHALAWAR	8524	7268900	1632	1368000
26	5349	JHUNJHUNUN	7030	1930000	1612	1403000
27	13122	JODHPUR-I	2335	1735000	158	129200
28	31714	JODHPUR-II	3888	3002000	75	59900
29	8055	KARALI	5604	4175400	1863	1652800
30	21597	KOTA	3777	3258700	1604	1399900
31	12261	NAGPUR-I	7791	6169260	475	398600
32	12262	NAGPUR-II	8152	7709400	900	742100
33	15571	PALI	11261	8261000	3448	2665400
34	22191	PRATAPGARH	2572	1793400	512	429000
35	18401	RAJSAMAND	6963	4269000	1434	1158100
36	8468	S.MADHOPUR	5360	3160000	3736	Already Alloted
37	11216	SIKAR-I	2395	2286470	443	384928
38	11219	SIKAR-II	4083	4082880	1061	956300
39	14800	SIROHI	4413	3787650	3152	2283900
40	16781	TONK	5765	4165000	3311	2870600
41	20688	UDAIPUR-I	6451	5051000	651	515300
42	20689	UDAIPUR-II	5953	4353000	314	254700
Secondary Education			279349	210999300	60832	45057233
1558-Elementry Education			146814	143514000	0	0
958-Sanskrit Education			3300	2559780	1254	1053900
Grand Total			429463	357073080	62086	46111133

इस आवंटित बजट राशि का उपयोग निम्नांकित निर्देशानुसार किया जावे :-

1. राशि का आहरण संबंधित बजट मद के अन्तर्गत ही किया जावे।
2. आवंटित राशि का आहरण इस आदेश से आवंटित राशि एवं पूर्व आवंटन की शेष राशि की सीमा के अन्तर्गत ही किया जावे।
3. छात्रवृत्ति स्वीकृति आदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं इस विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशा-निर्देशों की पालना करते हुए किए जावें।
4. छात्रवृत्ति की राशि का आहरण जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम/द्वितीय) द्वारा अपने अपने क्षेत्राधिकार के विद्यालयों हेतु किया जाएगा। छात्रवृत्ति राशि का वितरण छात्र-छात्राओं के बैंक खातों में भामाशाह पोर्टल के माध्यम से ही किया जाना सुनिश्चित करें।
5. शालादर्पण से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार बजट आवंटन किया जा रहा है, अतः शालादर्पण से डाटा प्राप्त कर भामाशाह पोर्टल पर अपलोड करते हुए छात्रवृत्ति राशि का आहरण किया जाना है। विस्तृत निर्देश छात्रवृत्ति अनुभाग से जारी किए गए हैं।
6. राशि आहरण माह फरवरी, 2018 में किया जाना सुनिश्चित करें।

www.rajteachers.com

कमांक : शिविरा-माध्य/छाप्रोप्र/आवंटन-व्यय/25210/2017-18


वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर
दिनांक : 6-2-2018

प्रतिलिपि :-

1. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर
2. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान, जयपुर
3. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
4. निदेशक, संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर
5. सिस्टम एनालिस्ट विभागीय वेबसाइट पर जारी करने हेतु।
6. लेखाधिकारी बतट कार्यालय हाजा को ऑनलाईन जारी करने हेतु।
7. अनुभाग अधिकारी, (योजना प्रकोष्ठ) कार्यालय हाजा।
8. प्रभारी अधिकारी (छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ) कार्यालय हाजा।
9. रक्षित पत्रावली।

लेखाधिकारी